

देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण



भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी
का
मानकीकरण

प्रधान संपादक

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी
निदेशक

प्रशासनिक पर्यवेक्षण

अनिल बी.
उपनिदेशक

संपादन

रत्नेश कुमार मिश्र
सहायक निदेशक



भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
2024

वर्ष 2024 संस्करण के लिए विशेषज्ञ समिति

प्रो. गिरीशनाथ झा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग

प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित, लखनऊ, उ.प्र.

प्रो. सदानंद प्रसाद गुप्त, गोरखपुर, उ.प्र.

प्रो. नन्दकिशोर पांडेय, जयपुर, राजस्थान

डॉ. सुरेश पंत, नोएडा, उ.प्र.

प्रो. कुमुद शर्मा, नई दिल्ली

प्रो. वी. रा. जगन्नाथन, चेन्नई, तमिलनाडु

प्रो. खेमसिंह डेहरिया, भोपाल, म.प्र.

प्रो. मंजुल भार्गव, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य

डॉ. शुभंकर मिश्र, विश्व हिंदी सचिवालय, पोर्ट लुई, मॉरिशस

प्रो. अर्जुन चव्हाण, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

डॉ. योगेन्द्रनाथ मिश्र, आणंद, गुजरात

डॉ. बालेन्दु शर्मा 'दाधीच', गुरुग्राम, हरियाणा

प्रो. मीरा भार्गव, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य

प्रो. के. सी. टुडू, संताली भाषा विशेषज्ञ, राँची

श्री आलकजारी मुर्मू, संताली भाषा विशेषज्ञ, नई दिल्ली

श्री विश्वेश्वर बसुमतारी, बोडो भाषा विशेषज्ञ, कार्बी आंगलोंग, असम

विभागीय संकाय:

डॉ. नूतन पांडेय, सहायक निदेशक

डॉ. दीपक पांडेय, सहायक निदेशक

श्री प्रदीप कुमार ठाकुर, मूल्यांकक

श्री अच्युत कुमार सिंह, सहायक अनुसंधान अधिकारी

विषयानुक्रमणिका

1. प्रस्तावना
2. देवनागरी: इक्कीसवीं सदी तक की यात्रा
3. मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक
4. हिंदी वर्तनी का मानकीकरण
5. हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता
6. पैराग्राफ विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग

प्रस्तावना

इतिहास से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, वह इसलिए संभव हो सका क्योंकि समय के प्रवाह में टिका रहा और हमारी पीढ़ी उसका साक्षात्कार कर सकी। समय के साथ मानव सभ्यता की यात्रा में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत कला आदि ने अपने-अपने आयामों में हमारी विरासत को सम्हाले रखा और हम तक पहुँचाया। लेकिन, मौलिकता के संरक्षण और पदार्थगत विशेषताओं की दृष्टि से इन सभी कलाओं में संरक्षित ज्ञान को समय की बड़ी चुनौती से जूझना पड़ा और एक सीमा के बाद उनमें परिवर्तन हुए और विकार आए। यही कारण है कि हम एक ऐसे माध्यम की खोज में लगे रहे जिसमें समय के इस क्षरणकारी प्रभाव से बचने की अधिक संभावनाएँ हों। लिपि की खोज से हमें इस दिशा में बड़ी सफलता मिली।

विचारों, भावनाओं और महत्वपूर्ण सूचनाओं को पर्वतशिलाओं, गुफा की दीवारों, ताम्रपत्रों पर लिखा जाने लगा। फलतः, लिपि के अस्तित्व में आने से हमारा ज्ञान तो सुरक्षित हुआ ही, इसकी अनुकृतियाँ बनाना भी संभव हुआ। अर्थात्, लिपि के रूप में हमने एक ऐसा व्यापक अनुशासन बनाया जिससे हमारे विचार देश-काल की सीमाओं को अतिक्रान्त कर सके। लिपि से एक सुविधा यह भी हुई कि विभिन्न काल-खंडों में संचित ज्ञान हमारे लिए एक साथ तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अथवा अन्यथा संदर्भ के लिए उपलब्ध हो सका।

देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की प्रस्तुत नियमावली लिपि को एकरूप और परिनिष्ठित बनाने में विगत कई दशकों से एक सांस्थानिक भूमिका में रही है। यह विदितव्य है कि 1966 ई. में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का प्रकाशन किया गया। उसके बाद विविध चरणों में आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा करते हुए इसे अद्यतन किया जाता रहा।

लिपि को लेकर सबसे बड़ी चिंता मुद्रण-प्रणाली से इसके सामंजस्य की रही है। दूसरी चिंता, हिंदी के बढ़ते दायरे में निरंतर आ रहे उन नये प्रयोक्ताओं को लेकर है, जिन्हें हिंदी लिखना सिखाने के लिए लिपि और वर्तनी के नियमों को स्वयं स्थिर और मानक होना जरूरी है। पुराने प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर और अब कंप्यूटर ने अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार चुनौतियाँ और समाधान प्रस्तुत किए हैं और तदनुसार मानकीकरण समिति ने समय-समय पर कुछ सुधार किए। हिंदी के कंप्यूटर युग में प्रवेश करने पर कुछ चुनौतियाँ समाप्त हुईं और कुछ स्थापित नियम बदल दिए गए। इसमें एक विषय टाइपराइटर में संयुक्ताक्षर के निर्माण से जुड़ा है। टाइपराइटर में बहुत सारे संयुक्ताक्षरों को हलंत देकर अलग-अलग लिखने की व्यवस्था देनी पड़ी थी जो कंप्यूटर के आगमन से बहुत उपयोगी नहीं रही। यद्यपि, अन्य कई प्रयोजनों से कतिपय वर्णों के लिए यह पद्धति जारी रखी गई है। आज के समय की हिंदी पत्रकारिता, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं, समाज पर अपना गहरा प्रभाव रखते हैं और इसलिए उनकी भाषा की लेखन-पद्धति ने भी अपना-अपना प्रभाव छोड़ा है। इसमें ऐसे समाचारपत्र भी हैं जिनमें अंग्रेज़ी के शब्दों के देवनागरी लिप्यंतरण की अधिकता है। अतः, देवनागरी के नियमों को वहाँ भी एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मसलन, स्पोर्ट्स शब्द लिखने में रेफ के प्रयोग की दुविधा रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट और स को संयुक्त करने की प्रकृति हिंदी की नहीं है। इसी तरह की कई व्यावहारिक समस्याओं से देवनागरी और हिंदी को जूझना पड़ रहा है।

वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती देवनागरी लिपि और यूनिकोड के सामंजस्य की है। हिंदी के बहुत सारे फॉण्ट देवनागरी लिपि-चिह्नों को अपने-अपने तरीके से लिखते हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि आज के समय में किसी भी लिपि के लिए तकनीकी संरेखण(technological alignment) एक अनिवार्य शर्त है और ऐसे में यूनिकोड और देवनागरी के तालमेल में विचलन एक बड़ी बाधा है। यह विषय और भी गंभीर तब हो जाता है जब हम सभी हिंदी से एक वैश्विक भाषा के रूप में उसकी प्रभावी भूमिका की अपेक्षा रखते हैं। इस पुस्तिका में अन्य भारतीय भाषाओं के विशेषक चिह्नों के लिए आवंटित कोड पॉइंट का यथासंभव उल्लेख किया गया है ताकि उनके प्रयोग में थोड़ी सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर नियमों की बेहतर व्याख्या करने का भी प्रयत्न किया गया है। पुस्तिका का यह संस्करण लिपि के मानववैज्ञानिक उत्स से लेकर इसके भाषावैज्ञानिक विकास के कुछ रुचिकर पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है।

बहरहाल, पुस्तिका का नया संस्करण आपके हाथों में। आपकी समीक्षा-दृष्टि इसे लाभान्वित करती रहे।

शुभमस्तु,

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी 'देशगव्हाणकर'
निदेशक

1. देवनागरी: इक्कीसवीं सदी तक की यात्रा

1.1 देवनागरी: समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि

विश्व की सभी बड़ी भाषाओं की लिपियों की तुलना में उच्चरित ध्वनियों को वैज्ञानिक विश्वसनीयता के साथ लिखे जाने की दृष्टि से देवनागरी लिपि की विशेष प्रतिष्ठा है। देवनागरी लिपि अपनी विशेषताओं के कारण हिंदी को एक ऐसी अनूठी वर्णमाला दे सकी है जहाँ वर्णों के क्रम, उनके वर्गीकरण आदि का मनुष्य के ध्वनि-तंत्र से विलक्षण सामंजस्य है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य लिपि में दुर्लभ है। देवनागरी लिपि में पर्याप्त ध्वनि चिह्न होने के कारण किसी भी उच्चरित ध्वनि को लिपिबद्ध करना सुकर तो है ही, साथ ही शब्दों की वर्तनी को सुनकर लिखा जा सकता है। निरंतर विकसमान भाषा लिपि के लिए नई-नई चुनौतियाँ लेकर आती रहती है और तदनुसार लिपि में नये चिह्न ग्रहण किए जाते हैं, हटाए जाते हैं या कभी-कभी उनकी आकृतियों में सुविधानुसार परिवर्तन किए जाते हैं।

1.2 लिपि: मनुष्य की बौद्धिक संपदा के संरक्षण और संवहन का प्रश्न

लिपि के संबंध में जो ज्ञात तथ्य हैं, उनसे संकेत मिलता है कि पूरे जीव-जगत में केवल मनुष्य ही लिपि का प्रयोग करता रहा है। लिपि का वर्तमान परिमार्जित स्वरूप जिस लंबी यात्रा का परिणाम है, उसका आरंभ चित्रलिपि से हुआ। चित्रलिपि (Pictograph), भावलिपि (Ideograph), संकेतलिपि (Logograph), ध्वन्यात्मक लिपि (Phonographic) एवं आक्षरिक लिपि (Alphabetic) लिपियों के विकासक्रम के अलग-अलग पड़ाव हैं। प्रागैतिहासिक काल के शिलालेखों, भित्तिचित्रों को देखकर यह अनुमान करना सहज है कि मनुष्य में अपने भीतर संचित सूचनाओं और ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने की एक उत्कंठा रही है। किसी सतह पर अपने विचार लिखने या दर्ज करने के प्राचीनतम प्रमाण इंडोनेशिया के जावा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीपी पर अंकित आड़ी-तिरछी रेखाएँ एक ज्यामितीय अनुशासन में दिखाई देती हैं और सुचिंतित रूप से एवं प्रयोजनपूर्वक उकेरी गई हैं।¹ पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि यह 4,30,000 वर्ष पुरानी और होमोइरेक्टस द्वारा बनाई हुई हो सकती हैं। विश्व में पाषाण-अभिलेख के, जिसमें प्रतीक-चिह्नों को सिलसिलेवार ढंग से उकेरे जाने का प्रयास हो, प्राचीनतम उदाहरण उत्तरी स्पेन के अल्लामिरा स्थान पर मिले गुफा-चित्र हैं जिन्हें 36000 से 15000 वर्ष पुराना बताया गया है। ये चिह्न(चित्र) आधुनिक मानव या होमोसेपियन्स द्वारा बनाए हुए होने का अनुमान है। भारत में मध्यप्रदेश स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय में पुरापाषाण काल के शैल-चित्र भी प्राचीन चित्रलिपि के उदाहरण हैं। ये मानव द्वारा अपने विचार, भावनाओं या सूचनाओं को लिखित रूप में संप्रेषित करने के प्रारंभिक प्रयास थे। इन चित्रलिपियों की एक विवशता यह थी कि ये अभिप्रेत विचारों का संकेत मात्र करते हैं। अतः, इनका आशय ग्रहण करने के लिए इनका कथ्य पुनर्सृजित करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका व्यक्ति की अपनी अनुमान-शक्ति की होती है। इस तरह एक ही कथ्य के अंतर्ग्रहण में दो भिन्न व्यक्तियों के निष्कर्ष भिन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि मानव सभ्यता निरंतर इस उद्यम में लगी रही है कि एक ऐसी आदर्श लिपि बनाई जाए जिसमें विचारों को नितांत वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति मिल सके।

1.3 ब्राह्मी लिपि और उससे प्रसूत देवनागरी

सर्वाधिक स्वीकार्य ऐतिहासिक स्थापना के अनुसार आधुनिक लिपि की शुरुआत मेसोपोटामिया की क्यूनीफॉर्म(कीलाकार) लिपि से मानी जाती है। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ये संकेत करते हैं कि इसका पहले-पहल प्रयोग व्यापारिक लेन-देन के हिसाब के लिए किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीनतम भारतीय लिपियों में सिंधु-घाटी सभ्यता की लिपि का नाम आता है। इस लिपि को पूरी तरह पढ़ने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है अतः, पूर्वापर लिपियों से भी इसका संबंध स्पष्ट नहीं है।

लिपियों की आबूगीदा प्रणाली, जिसमें बृहत्तर ब्राह्मी-लिपि परिवार आता है, देवनागरी का उद्गम है। इस तरह की लेखन प्रणाली में व्यंजन वर्ण के साथ स्वर के संयोजन से एक स्वतंत्र इकाई बनती है और इन इकाइयों की एक श्रृंखला होती है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि 500 ई.पू. से लेकर 350 ई. तक चलती रही। इसके बाद भारतीय इतिहास में कला-साहित्य के उत्कर्ष का स्वर्णकाल समझे जाने वाले गुप्त-काल में प्राचीन ब्राह्मी लिपि की दो प्रचलित शैलियों में से उत्तरी शैली से विकसित लिपि को गुप्त शासकों ने गुप्तलिपि नाम दिया। गुप्तलिपि से ही कुटिल लिपि का विकास हुआ और इसका प्रभावकाल छठी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक माना जाता है। देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ। नवीं शताब्दी से अद्यपर्यंत देवनागरी निरंतर परिष्कृत संशोधित होती आई है।

विश्व में लैटिन, चीनी और अरबी के बाद देवनागरी सर्वाधिक व्यवहार की जाने वाली लिपि है। अतः, देवनागरी के सतत विकास का प्रश्न उन सभी भाषाओं के लिखित साहित्य और उसमें अभिव्यक्त संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि देवनागरी लिपि को इस प्रकार अद्यतन करते रहने की चुनौती है जिससे वह इन सभी भाषाओं के कथ्यों को उसी कौशल के साथ अभिलिखित कर सके जैसी अन्य विश्वस्तरीय भाषाओं की लिपियाँ कर रही हैं।

देवनागरी लिपि की जिस विकास यात्रा की कहानी ऊपर कही गई है, उसमें कई वर्णों के वैकल्पिक रीति से लिखे जाने, संयुक्ताक्षर बनाने की अलग-अलग शैली, अनुस्वार-चंद्रबिंदु आदि के प्रयोग को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति रही है। नीचे की सारणी में वर्णों को लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियों को देखें:

प्रचलित रूप	पुराना रूप
अ	प्र
ख	ख
झ	भ
ण	रा

इसके अतिरिक्त देवनागरी वर्णों से बनाए जाने वाले संयुक्ताक्षरों में भी एकाधिक विधियाँ प्रचलित रही हैं। आगे के अध्याय में इस विषय का सोदाहरण विवेचन किया गया है। वस्तुतः, लिपि का विकास एक धीमी प्रक्रिया है अतः, पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी के संधिकाल में दुविधा की ऐसी स्थितियाँ स्वाभाविक रूप से बन सकती हैं। आज के समय की मुश्किल यह है कि तकनीक पर हमारी निर्भरता ने भाषा, लिपि संबंधी अपेक्षाओं को बहुत बड़ा कर दिया है और एक विश्वस्तरीय भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को तैयार हिंदी के लिए उसकी लिपि को मानक बनाना एक अपरिहार्यता बन गई है।

1.4 कंप्यूटर और देवनागरी का तालमेल

कंप्यूटर के लिए एक व्यवहार्य भाषा के रूप में हिंदी को लाने की दिशा में यह आवश्यक शर्त है कि इसकी लिपि एक स्पष्ट व्यवस्था पर आधारित हो। यूनिकोड में उपलब्ध देवनागरी अभी भी कई उलझनों से भरी है। इसमें अलग-अलग फॉण्ट अपनी-अपनी शैली में अक्षरों और संयुक्ताक्षरों को डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे में कई बार अलग-अलग कंप्यूटर एक ही टेक्स्ट या पाठ को अलग-अलग प्रकार से दर्शाते हैं। यूनिकोड में हिंदी को आवंटित कोड का विस्तार U+0900 से लेकर U+097F तक है। इसमें कुल मिलाकर 128 कोड पॉइंट हैं और अद्यतन जानकारी के अनुसार देवनागरी के लिए अब कोई भी अतिरिक्त कोड पॉइंट आरक्षित नहीं है। अतः, देवनागरी में लिखी जाने वाली सभी भाषाओं के सभी लिपि चिह्नों को इन्हीं कोड के अंदर व्यवस्थित किया जाना है। लिपि और उसके साथ वर्तनी का मानकीकरण इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है ताकि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी एक विश्वसनीय तकनीकी भाषा-विकल्प बन सके।

1.5 संविधान में अनुसूचित भाषाएँ और देवनागरी का दायित्व

देवनागरी लिपि के दायित्व की परिधि के विस्तार का अनुमान करने के लिए भारत के संदर्भ में कुछ आँकड़ों को अवश्य देखा जाना चाहिए। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएँ और 544 अन्य भाषाएँ हैं। इन सभी को भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाटिक और चीनी-तिब्बती परिवारों में बाँटा गया है। 'भारत आर्य परिवार में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओड़िआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, 'द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम, 'आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार में संताली और 'चीनी-तिब्बती परिवार' में बोडो तथा मणिपुरी आदि भाषाएँ आती हैं। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में बाईस भाषाएँ सम्मिलित हैं और इनमें देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाओं की संख्या तेरह है: -

क्र. सं.	भाषा	लिपि
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी
3.	कोंकणी	देवनागरी
4.	डोगरी	देवनागरी
5.	नेपाली	देवनागरी
6.	बोडो	देवनागरी
7.	मराठी	देवनागरी
8.	मैथिली	तिरहुता / देवनागरी
9.	संताली	ओलचिकि / देवनागरी
10.	गुजराती	गुजराती, देवनागरी
11.	कश्मीरी	फारसी, अरबी, देवनागरी, शारदा
12.	सिंधी	फारसी - अरबी / देवनागरी
13.	असमिया	असमिया
14.	ओड़िआ	ओड़िआ
15.	उर्दू	फारसी-अरबी, देवनागरी

16.	कन्नड	कन्नड
17.	तमिल	तमिल
18.	तेलुगु	तेलुगु
19.	पंजाबी	गुरमुखी
20.	बांग्ला	बांग्ला
21.	मणिपुरी	मैतेई
22.	मलयालम	मलयालम

2. मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक

2.0 वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप हैं। लिपि- चिह्न भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। वर्णों को लिपि चिह्न भी कहा जाता है। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता बनाए रखने के लिए 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार-विमर्श के पश्चात् हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :

2.1 हिंदी वर्णमाला

2.1.1 स्वर

स्वर वर्ण			
अ	आ	इ	ई
उ	ऊ	ऋ	ए
ऐ	ओ	औ	
अनुस्वार एवं विसर्ग			
अं	अः		

- मूल स्वर 11 हैं।
- संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में ऋ, लृ तथा ॠ भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है।

2.1.2 मूल व्यंजन

व्यंजन वर्ण				
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	
क्ष	त्र	ज्ञ	श्र	
उत्क्षिप्त व्यंजन			ड़	ढ़
विशिष्ट व्यंजन			ळ	

- मूल व्यंजनों की संख्या 33 है।
- क्ष(क+ष), त्र(त्+र), ज्ञ(ज+ञ), श्र(श+र) हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
- 'ळ' वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊँनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओड़िया में भी 'ळ' ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं(व्यक्ति, स्थान, भू-आकृतियों के नामों में) में इनके प्रयोग किये जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ञ वर्ण को स्थान दिया गया है।

परिवर्धित देवनागरी लिपि में स्वीकृत लिपि-चिह्न:

भारतीय भाषाओं के विशिष्ट स्वर					
क्र.सं.	परिवर्धित देवनागरी वर्ण	मात्रा	वर्ण	मात्रा	वर्ण
1.	ह्रस्व ए, ओ	े	ऐ	ो	औ
2.	कश्मीरी	ु	अु	ू	अु
		ँ	अँ	ँ	अँ
3.	संताली	ी	अ	?	
		।	अ।	.'	ऐ
		ो	ओ	ो	औ
व्यंजन					
4.	कश्मीरी चवर्ग	च	छ	ज	
5.	सिंधी	ग	ज	ड	ब
6.	बांग्ला, असमिया	य			
7.	तमिल और मलयालम	ळ			
8.	तमिल	न			
9.	तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़	र			
10.	उर्दू	क	ख	ग	ज
		फ			
11.	तमिल	ट			
12.	तमिल	न			
13.	मलयालम	ज़			
14.	संताली	व			

2.1.1

अनुस्वार और अनुनासिक

अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को लेकर बहुधा भ्रम की स्थिति रहती है और इसलिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और कभी-कभी तो पाठ्यपुस्तकों में भी अनुनासिक के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इन नासिक्य व्यंजन(ङ, ज, ण, न, म) के बाद यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए तो नासिक्य व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं।

जैसे – चञ्चल > चंचल; गङ्गा > गंगा; पण्डित > पंडित।

अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में देशज और तद् भव शब्दों में किया जाता है। ऐसे शब्दों में जहाँ स्वरमात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर लगती हों वहाँ स्थानलाघव के लिए चंद्रबिंदु भी अनुस्वार के रूप में ही लिखे जाते हैं।

जैसे - आँख, माँ, साँस यहाँ, वहाँ, हँसना, क्यों(क्यों), खींचना(खींचना)।

हिंदी में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत एवं ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे: लड़कियाँ, लताएँ, चींटियाँ, नदियाँ, महिलाएँ, ऋतुएँ, वस्तुएँ, वधुएँ, रीतियाँ। अनुस्वार और चंद्रबिंदु में आधारभूत अंतर उच्चारण का ही है। अनुस्वार में जहाँ नासिका से श्वास निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका और मुँह दोनों से निकलता है।

2.1.6 विसर्गः प्रातः (देखें संदर्भ 3.7)

2.1.7 हल् चिह्नः उद्भव (देखें संदर्भ 3.8)

2.1.8 आगत वर्ण

2.1.8.1 अवग्रह ऽ सोऽहं (देखें संदर्भ 3.9)

2.1.8.2 अर्धचंद्र आँ डॉक्टर

2.2 हिंदी अंक

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। परंतु राष्ट्रपति, संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

2.2.1 भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2.2.2 देवनागरी अंक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

2.3 बारहखड़ी

क	का	कि	की	कु	कू	के	कै	को	कौ	कं	कः
ख	खा	खि	खी	खु	खू	खे	खै	खो	खौ	खं	खः
ग	गा	गि	गी	गु	गू	गे	गै	गो	गौ	गं	गः
घ	घा	घि	घी	घु	घू	घे	घै	घो	घौ	घं	घः
च	चा	चि	ची	चु	चू	चे	चै	चो	चौ	चं	चः
छ	छा	छि	छी	छु	छू	छे	छै	छो	छौ	छं	छः

ज	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	जं	जः
झ	झा	झि	झी	झु	झू	झे	झै	झो	झौ	झं	झः
ट	टा	टि	टी	टु	टू	टे	टै	टो	टौ	टं	टः
ठ	ठा	ठि	ठी	ठु	ठू	ठे	ठै	ठो	ठौ	ठं	ठः
ड	डा	डि	डी	डु	डू	डे	डै	डो	डौ	डं	डः
ढ	ढा	ढि	ढी	ढु	ढू	ढे	ढै	ढो	ढौ	ढं	ढः
ण	णा	णि	णी	णु	णू	णे	णै	णो	णौ	णं	णः
त	ता	ति	ती	तु	तू	ते	तै	तो	तौ	तं	तः
थ	था	थि	थी	थु	थू	थे	थै	थो	थौ	थं	थः
द	दा	दि	दी	दु	दू	दे	दै	दो	दौ	दं	दः
ध	धा	धि	धी	धु	धू	धे	धै	धो	धौ	धं	धः
न	ना	नि	नी	नु	नू	ने	नै	नो	नौ	नं	नः
प	पा	पि	पी	पु	पू	पे	पै	पो	पौ	पं	पः
फ	फा	फि	फी	फु	फू	फे	फै	फो	फौ	फं	फः
ब	बा	बि	बी	बु	बू	बे	बै	बो	बौ	बं	बः
भ	भा	भि	भी	भु	भू	भे	भै	भो	भौ	भं	भः
म	मा	मि	मी	मु	मू	मे	मै	मो	मौ	मं	मः
य	या	यि	यी	यु	यू	ये	यै	यो	यौ	यं	यः
र	रा	रि	री	रु	रू	रे	रै	रो	रौ	रं	रः
ल	ला	लि	ली	लु	लू	ले	लै	लो	लौ	लं	लः

व	वा	वि	वी	वु	वू	वे	वै	वो	वौ	वं	वः
श	शा	शि	शी	शु	शू	शे	शै	शो	शौ	शं	शः
ष	षा	षि	षी	षु	षू	षे	षै	षो	षौ	षं	षः
स	सा	सि	सी	सु	सू	से	सै	सो	सौ	सं	सः
ह	हा	हि	ही	हु	हू	हे	है	हो	हौ	हं	हः
ड	डा	डि	डी	डु	डू	डे	डै	डो	डौ	डं	डः
ढ	ढा	ढि	ढी	ढु	ढू	ढे	ढै	ढो	ढौ	ढं	ढः
ळ	ळा	ळि	ळी	ळु	ळू	ळे	ळै	ळो	ळौ	ळं	ळः

नोट : व्यंजनों के साथ 'ऋ' का संयोग होने पर शब्दों का निर्माण इस तरह होता है : कृपा, गृह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, श्रृंगार, सृष्टि। बारह खड़ी में 'ड' और 'ज' नहीं रखे गए हैं। इनका प्रयोग केवल संयुक्ताक्षर के रूप में ही होता है।

2.4 परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

परिवर्धित देवनागरी, देवनागरी वर्णमाला का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक-चिह्न (विशेषक चिह्न) जोड़े गए हैं। परिवर्धित चिह्नों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थभेदकता की स्थिति में संबंधित भाषा की ध्वनियों का लेखन संभव हो सके।

देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाने के लिए यह अपेक्षित है कि देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक चिह्नों का विकास किया जाए। अतः विभिन्न भाषाओं के भाषा-विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 'परिवर्धित देवनागरी' का विकास किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ-साथ कश्मीरी, बांग्ला, मराठी, ओड़िआ तथा असमिया भाषाओं के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के साथ-साथ सिंधी और उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया।

देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों के लिए कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है, अर्थात् जो ध्वनियाँ हिंदी भाषा में स्वनिमिक (Phonemic) स्तर पर विद्यमान नहीं हैं, उनके लिए ही विशेषक चिह्न निर्धारित किए गए। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं कश्मीरी में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' उपलब्ध हैं किंतु देवनागरी में वे स्वनिमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

अनेक भारतीय भाषाओं की वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला के समान है परंतु भाषा विशेष में कुछ वर्णों का उच्चारण सामान्य हिंदी के उच्चारण से भिन्न है। यह भाषाओं के ध्वन्यात्मक व्यतिरेक (Phonetic Contrast) का विषय है।

परिवर्धित देवनागरी (विशेषक चिह्न एवं यूनिकोड)

संविधान की अष्टम अनुसूची में परिगणित अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए देवनागरी वर्णमाला में जो विशेषक चिह्न (Diacritical Marks) जोड़े गए, उनकी अद्यतन स्थिति यहाँ वर्णित है।

भारतीय भाषाओं के विशिष्ट स्वर					
क्र.सं.	परिवर्धित देवनागरी वर्ण	मात्रा (यूनिकोड कुंजी सहित)	वर्ण (यूनिकोड कुंजी सहित)	मात्रा (यूनिकोड कुंजी सहित)	वर्ण (यूनिकोड कुंजी सहित)
1.	ह्रस्व ए, ओ	े (0946)	ऐ (090E)	ो (094A)	औ (0912)
2.	कश्मीरी	ु (0956)	अ (0976)	ु (0957)	अ (0977)
		ँ (0945)	अँ (0972)	ँ (0949)	अँ (09114)
3.	संताली	ाँ (093B)	अँ (0973)	ँ (097D)	
		। (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)	आ (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)	े (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)	ऐ (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)
		ो (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)	ओ (यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं)		
व्यंजन					
4.	कश्मीरी चवर्ग	च	छ	ज (095B)	
5.	सिंधी	ग (0978)	ज (097C)	ड (097E)	ब (097F)
6.	बांग्ला, असमिया	य (095F)			
7.	तमिल(ஹ) मलयालम(ഴ)	ळ (0934)			
8.	तमिल(ற)	न (0929)			
9.	तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़	र (0931)			
10.	उर्दू	क (0958)	ख (0959)	ग (095A)	ज (095B)
		फ (095E)			
देवनागरी में लिप्यंतण हेतु अन्य अपेक्षित जानकारी					
11.	तमिल	ஹ்	ट्र		
12.	तमिल	ற்	न		
13.	मलयालम	ററ	ज		

मैथिली: भऽ/कऽ अथवा भ'/क' के स्थान पर यूनिकोड का ँ (093A) चिह्न का उपयोग करते हुए भं/कं के रूप में लिखा जाए।

मणिपुरी: मणिपुरी की मौखिक भाषा में दो तरह के तान (tone) स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं परंतु इसकी लिपि 'मैती' में उसके लिए कोई तान (tone) अंकित नहीं किया जाता।

पंजाबी: इसी प्रकार पंजाबी भाषा भी तानयुक्त (tonal) भाषा है, लेकिन पंजाबी वर्तनी में उसका कोई तान अर्थात् विशेषक चिह्न अंकित नहीं किया जाता।

प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए कोष्ठकों में दी गई कुंजी संख्या यूनिकोड से साभार उद्धृत है।
इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबलिंक :

<http://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf> पर उपलब्ध है।

विशेषक चिह्नों की सूची की विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2.5

हिंदी वर्णमाला लेखन विधि :-

3. हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

3.0 किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख कारक हैं भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वरों के लिए पृथक प्रतीक वर्णों की उपलब्धता, उनका परस्पर स्पष्ट आकार भेद, लिखावट में सरलता, स्थान-लाघव एवं प्रयत्न - लाघव।

लिपि का दूसरा पक्ष है- वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम बनाए, जो इस प्रकार हैं :

3.1 संयुक्त वर्ण

3.1.1 खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ। जैसे: ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, प्यास, त्र्यंबक, स्वीकृति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, कुत्ता*, पथ्य, डिब्बा, सभ्य, रम्य, यक्ष्मा।

3.1.2 अन्य व्यंजन

3.1.2.1 क और फ / फ़ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ, जैसे—

संयुक्त, पक्का, दफ्तर।

3.1.2.2 ड, छ, ट, ठ, ड, ढ और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर बनाए जाएँ।

जैसे – वाङ् मय, उच्छ् वास लट्टू, बुड्ढा, चिह्न, ब्रह्मा।

लेकिन द के साथ अर्धस्वर य और व आने पर हलन्त के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को प्राथमिकता दी जाए,

जैसे - विद्या, विद्यालय, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा।

3.1.2.3 संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे,

जैसे : प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

संयुक्ताक्षर में 'र्' यदि पहला वर्ण हो तो 'रेफ' (कर्म) में परिवर्तित होगा और दूसरा होने पर वर्ण के नीचे(क्रम) लगेगा। 'ट' और 'ड' के बाद संयुक्त होने पर 'ट्र' और 'ड्र' रूप बनता है।

दो अर्ध त (त्त) के एक साथ आने पर स्थान लाघव को देखते हुए उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप बनाया जाए, जैसे- महत्त्व, तत्त्व

3.1.2.4 'श्र' का यही प्रचलित रूप मान्य होगा। श के साथ 'र' के संयोग से श्र (श्रद्धा) और 'त्र' के संयोग से (श्रृंगार) रूप बनते हैं। त् + र के संयुक्त रूप के लिए 'त्र' ही मानक माना जाएगा। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजन + र के संयुक्ताक्षर 3.1.2.3 के नियमानुसार बनेंगे। जैसे: क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि।

3.1.2.5 हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के साथ आने वाली ह्रस्व 'इ' की मात्रा को शब्द युग्म के पूर्व लगाया जाए।

(देखें: <https://glyphsapp.com/tutorials/creating-a-devanagari-font>)

जैसे - कुट्टिम, चिट्ठियाँ, चिह्नित, बुद्धिमान।

3.2 कारक- चिह्न / परसर्ग

3.2.1 हिंदी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे - राम ने, राम को, राम से, राम का, सेवा में। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ जैसे - तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे मुझको, मुझसे। सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे - उसके लिए, इसमें से।

3.2.2 सर्वनाम और कारक - चिह्न के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हों तो कारक चिह्न को पृथक् लिखा जाए, जैसे: -आप ही के लिए, मुझ तक को।

3.3 संयुक्त क्रियापद

संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे- पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं।

3.4 योजक चिह्न (-)

3.4.0 योजक चिह्न (हाइफन) का विधान स्पष्टता के लिए किया जाता है।

3.4.1 द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे- राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

3.4.2 समानता सूचक सा, से, सी आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे- तुम सा (होशियार), छुरी-सी (जुबान)।

3.4.3 तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीँ किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, जैसे- भू-तत्त्व।

सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

3.4.4 जटिल संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे- द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थ, त्रि-अक्षर आदि। किंतु, नामवाची समस्त पदों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यथा- त्र्यंबक।

- 3.5 अव्यय**
- 3.5.1** 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएँ, जैसे- यहाँ तक, आपके साथ।
- 3.5.2** आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तक, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। अब से, तब अव्ययों के आगे परसर्ग (कारक - चिह्न) भी आते हैं, जैसे कुछ से, यहाँ से, सदा से। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे - आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र।
- 3.5.3** सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक लिखे जाएँ, जैसे- श्री गंगाधर, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी। (यदि श्री जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे- श्रीराम, रामजी लाल)।
- 3.5.4** समस्त पदों में प्रति, मात्र यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ, जैसे: - प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे पृथक रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। 'दस रुपये मात्र', 'मात्र दो व्यक्ति' में पदबंध की रचना है। यहाँ 'मात्र' अलग से लिखा जाए।
- 3.6 अनुस्वार तथा अनुनासिक**
- 3.6.0** अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक स्वर का नासिक्य अभिलक्षण। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं। अतः हिंदी में अनुस्वार (ं) और अनुनासिक चिह्न (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे।
- 3.6.1 अनुस्वार (शिरोबिंदु)**
- 3.6.1.1** संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों ('य' से 'ह' तक) से पहले यथावत रहेगा, जैसे- संयोग, संरक्षण, संलग्न, अंश, कंस, सिंह।
- 3.6.1.2** संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे- पंकज, गंगा, चंचल, मंजूषा, कंठ, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि।
- 3.6.1.3** यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ण का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे: - उन्मुख, वाङ् मय, अन्य, चिन्मया।
- 3.6.1.4** पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में (साथ-साथ) आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे- अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि।
- 3.6.1.5** संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग 'म्' का सूचक है, जैसे- अहं (अहम्) एवं (एवम्) शिवं (शिवम्)।
- 3.6.2 अनुनासिक चिह्न (चंद्रबिंदु)**
- 3.6.2.1** हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा।
- 3.6.2.2** अनुनासिक चिह्न व्यंजन नहीं हैं, स्वरों का ध्वनिगुण है। उदाहरण- आँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, माँगे।

- 3.6.2.3** चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है, जैसे- हंस/ हँस, अंगना/अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
- 3.6.2.4** हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल तद् भव और देशज शब्दों के साथ होता है।
जैसे: - आँख, चाँद, आँत, दाँत, गाँठा।
- 3.6.2.5** **अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में आधारभूत अंतर**
अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को लेकर बहुधा भ्रम की स्थिति रहती है और इसलिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और कभी-कभी तो पाठ्यपुस्तकों में भी अनुस्वार अनुनासिक के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है।
क) इन नासिक्य व्यंजन(ङ,ञ,ण,न,म) के बाद यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए तो नासिक्य व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं।
जैसे – चञ्चल > चंचल; गङ्गा > गंगा; पण्डित > पंडित।
ख) वहीं हिंदी में अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में देशज और तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों में जहाँ स्वरमात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर लगती हों वहाँ स्थानलाघव के लिए चंद्रबिंदु भी अनुस्वार के रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे - आँख, माँ, साँस यहाँ, वहाँ, हँसना, क्योँ(क्यौँ), खीँचना(खीँचना)।
हिंदी में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत एवं ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे: लड़कियाँ, लताएँ, चींटियाँ, नदियाँ, महिलाएँ, ऋतुएँ, वस्तुएँ, वधुएँ, रीतियाँ।
ग) अनुस्वार और चंद्रबिंदु में आधारभूत अंतर उच्चारण का ही है। अनुस्वार में प्रश्वास जहाँ नासिका से निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका और मुँह दोनों से निकलता है।

3.7 विसर्ग (:)

- 3.7.1** संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे शब्द संधि या समास के साथ तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए, जैसे- दुःखानुभूति, दुःखार्त, दुःखांत। यदि हिंदी में गृहीत तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो विसर्ग के बिना ही लिखा जाएगा, जैसे- दुख-सुख के साथी।
- 3.7.2** तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे- अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः।
- 3.7.3** ऐसे संधि स्थलों को छोड़कर जहाँ स, श का द्वित्व हो रहा हो विसर्ग ही लिखा जाएगा। स, श के द्वित्व वाले शब्दों में संधियुक्त रूप ही ग्राह्य होगा। यथा: निस्स्वार्थ, निश्शेष, निस्संतान आदि।
- 3.7.3.1** शेष स्थानों पर यथा अंतःकरण, अंतःपुर, आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएँगे।
- 3.7.5** विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कॉलन-चिह्न(उपविराम) शब्द से कुछ दूरी पर हो, जैसे- प्रातः (विसर्गयुक्त शब्द)। फूल के पर्यायवाची हैं : सुमन, कुसुम।

3.8 हल् चिह्न (-)

- 3.8.1** व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानि वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है।

- 3.8.2** संयुक्ताक्षर बनाने के नियम 3.1.2.2 के अनुसार छ, ट, ठ, ड, ढ, ह में हल् चिह्न का प्रयोग होगा, जैसे- चिह्न और बुड्ढा ।
- 3.8.3** शब्दों के अंत में आने वाला 'हल्' चिह्न हिंदी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। अतः महान, राजन, तेजस, ओजस, जैसे शब्दों में 'हल्' चिह्न का प्रयोग नहीं होगा। इन सभी हलंत शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग में नियमों की समुचित व्याख्या के लिए हलंत से दर्शाया जा सकेगा। जैसे- 'जगत' शब्द हिंदी में सामान्यतः बिना हल् चिह्न के ही लिखा जा सकेगा किंतु, 'जगदीश' शब्द के संधि विच्छेद को दर्शाने के लिए 'जगत् + ईश' में इसे हल् चिह्न के साथ दर्शाया जाएगा।
- 3.8.3.1** संस्कृत से लिए गए अव्ययों में हलंत मूल भाषा के अनुसार अपरिवर्तित रहेगा। जैसे: - अर्थात्, आत्मसात्, पश्चात्, अकस्मात्, प्राक् । मकारांत अव्यय में म् के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाएगा।
यथा: स्वयम् – स्वयं; सायम् – सायं
कतिपय अव्ययेतर शब्द भी हलंत के साथ लिखे जाएँगे।
जैसे: - वाक्(वाक्पटु), भगवत्(श्रीमद् भगवद् गीता)
- 3.9** **अवग्रह (ऽ)**
संस्कृत पदों में संधि के 'अ' वर्ण के लोप को संकेतित करने के लिए अवग्रह चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे: - सोऽहं, शिवोऽहं आदि। अतः, इस प्रयोजन से अवग्रह चिह्न का प्रयोग यथावत होता रहेगा।
- 3.10** **स्वन परिवर्तन**
- 3.10.1** संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए।
- 3.11** **'ऐ', 'औ' का प्रयोग**
- 3.11.1** हिंदी में ऐ (है), औ (लौ) का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होता है जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण गैया, नैया, भैया, कौवा आदि जैसे शब्दों में संध्यक्षरों (diphthongs) के रूप में आज भी सुरक्षित है। नियमानुसार 'य' के पहले 'ऐ' होने से उसका उच्चारण 'अई' के रूप में होगा और 'व' के पहले 'औ' होने पर उसका उच्चारण 'अउ' के रूप में होगा। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, औ) का प्रयोग किया जाए। अन्य उदाहरण हैं - भैया, सैयद, तैयार, हौवा आदि ।
- 3.11.2** दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्तिनामों/कुलनामों को मूल भाषा के अनुरूप लिखा जाए।
- 3.11.3** अक्वल, कक्वाल, कक्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत रखा जाए।
- 3.12** **पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर'**
- 3.12.1** पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि । कर + कर के संयोग से 'करके' और करा + कर के संयोग से 'कराके' बनेगा।
- 3.13** **'वाला' प्रत्यय**
- 3.13.1** क्रिया रूपों में 'करने वाला', 'आने वाला', 'बोलने वाला' आदि को अलग लिखा जाए, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, जाने वाले लोग ।

3.13.2 संज्ञा और विशेषण के योजक प्रत्यय के रूप में 'घरवाला', 'टोपीवाला' (टोपी बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएँगे। 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में 'वाला' निर्देशक शब्द है। अतः इसे अलग से ही लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी 'वाला' अलग लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं। जैसे: -

गाँववाला - (ग्रामीण)

गाँव वाला मकान - (गाँव का मकान)

3.14 श्रुतिमूलक 'य', 'व'

3.14.1 क्रिया रूपों में श्रुतिमूलक 'य' और 'व' स्वर के रूप में ही प्रस्तुत हों जबकि शेष में 'य' और 'व' ही लगाया जाए।

जैसे: - 'जाना' क्रिया – गया – गई – गए ;

लेकिन अन्यथा 'य' का प्रयोग: - 'नया' विशेषण – नया – नयी – नये

क्रिया पदों में भूतकाल में स्त्रीलिंग के लिए 'ई' प्रत्यय और भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन अथवा आदरार्थक बहुवचन के लिए 'ए' प्रत्यय लगाए जाने का नियम है। जहाँ श्रुतिमूलक 'य' व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे - स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व ।

3.15 विदेशी ध्वनियाँ

3.15.1 उर्दू शब्द

उर्दू से आए अरबी-फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे- कलम, किला, दागा। नुक्ता हिंदी में प्रचलित नहीं है। अतः, देवनागरी की मूल हिंदी वर्णमाला में नुक्ते को नहीं रखा जाना चाहिए।

उर्दू के मूल पाठ/साहित्य का लिप्यंतरण करने में नुक्ता का प्रयोग चलता रहेगा। उर्दू के जो शब्द हिंदी ने आत्मसात् कर लिए हैं, वहाँ नुक्ते के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है।

3.15.2 अंग्रेजी शब्द

अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र (ँ) का प्रयोग किया जाए, जैसे- कॉलेज, हॉल, मॉल, टॉकीज, ऑफिस ।

सभी विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण यथासंभव विदेशी भाषाओं के मानक उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए।

3.16 अन्य नियम

3.16.1 शिरोरेखा (overhead line) का प्रयोग आवश्यक है।

3.16.2 पूर्ण विराम (फुलस्टॉप) को छोड़कर हिंदी में शेष विरामादि- चिह्न वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे - योजक-चिह्न, निर्देशक चिह्न, विवरण चिह्न, अल्पविराम,

अर्धविराम, उपविराम, प्रश्न-चिह्न, विस्मयसूचक चिह्न, अपोस्ट्रॉफी /ऊर्ध्व अल्पविराम, उद्धरण-चिह्न, शब्द-चिह्न, तीनों कोष्ठक, लोप चिह्न, संक्षेपसूचक चिह्न, हंसपदा

4. हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता

4.0 हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः **एकरूपता** का अभाव दिखाई देता है। इसीलिए एक से सौ तक सभी **संख्यावाचक** शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ, वह इस प्रकार है –

4.1 संख्यावाचक शब्द

एक	ग्यारह	इक्कीस	इक्तीस	इकतालीस	इक्यावन	इकसठ	इकहत्तर	इक्यासी	इक्यानवे
दो	बारह	बाईस	बत्तीस	बयालीस	बावन	बासठ	बहत्तर	बयासी	बानवे
तीन	तेरह	तेईस	तैंतीस	तैंतालीस	तिरपन	तिरसठ	तिहत्तर	तिरासी	तिरानवे
चार	चौदह	चौबीस	चौँतीस	चौवालीस	चौवन	चौँसठ	चौहत्तर	चौरासी	चौरानवे
पाँच	पंद्रह	पच्चीस	पैंतीस	पैंतालीस	पचपन	पैंसठ	पचहत्तर	पचासी	पचानवे
छह	सोलह	छब्बीस	छत्तीस	छियालीस	छप्पन	छियासठ	छिहत्तर	छियासी	छियानवे
सात	सत्रह	सत्ताईस	सैंतीस	सैंतालीस	सत्तावन	सड़सठ	सतहत्तर	सतासी	सत्तानवे
आठ	अठारह	अट्ठाईस	अड़तीस	अड़तालीस	अट्ठावन	अड़सठ	अठहत्तर	अठासी	अट्ठानवे
नौ	उन्नीस	उनतीस	उनतालीस	उनचास	उनसठ	उनहत्तर	उनासी	नवासी	निन्यानवे
दस	बीस	तीस	चालीस	पचास	साठ	सत्तर	अस्सी	नब्बे	सौ
हजार	लाख	करोड़	अरब	खरब					

4.2 क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal Numbers)

पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवाँ छठा सातवाँ आठवाँ नवाँ दसवाँ

4.3 भिन्नसूचक संख्याएँ (Fractional Numbers)

एक चौथाई	$\frac{1}{4}$	सवा दो	$2\frac{1}{4}$
आधा	$\frac{1}{2}$	ढाई	$2\frac{1}{2}$
पौन	$\frac{3}{4}$	पौने तीन	$2\frac{3}{4}$
सवा	$1\frac{1}{4}$	सवा तीन	$3\frac{1}{4}$
डेढ़	$1\frac{1}{2}$	साढ़े तीन	$3\frac{1}{2}$
पौने दो	$1\frac{3}{4}$		

4.4

समय के लिए

पौन बजा है	अर्थात्	12.45
सवा बजा है	अर्थात्	01.15
डेढ़ बजा है	अर्थात्	01.30
पौने दो बजे हैं	अर्थात्	01.45
सवा दो बजे हैं	अर्थात्	02.15
ढाई बजे हैं	अर्थात्	02.30
पौने तीन बजे हैं	अर्थात्	02.45
साढ़े तीन बजे हैं	अर्थात्	03.30

5.

पैराग्राफ विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग

5.0

पैराग्राफ विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों के प्रयोग के संबंध में यह निर्णय किया गया कि A, B, C अथवा a, b, c के लिए हिंदी में सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। जहाँ रोमन वर्ण कोष्ठक में हों, वहाँ देवनागरी वर्णों को भी कोष्ठकों में रखा जाए। विषय के विभाजन, उपविभाजन, पैराग्राफों या उपपैराग्राफों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 के प्रयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन अंकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त पद्धति को निम्नलिखित नमूने के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है: -

1.0

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.2

2.0

परिशिष्ट

पुस्तक के पूर्व संस्करणों से संबद्ध विशेषज्ञ

श्री अक्षय कुमार जैन
 डॉ. इंद्रनाथ चौधरी
 डॉ. ई. पांडुरंग राव
 डॉ. ए. चंद्रशेखर
 डॉ. एन. एन. बवेजा
 श्री एन. के. तोशखानी
 प्रो. एन. नागप्पा
 डॉ. एम. के. जेतली
 डॉ. कृष्णगोपाल रस्तोगी
 डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया
 प्रो. गुरुबख्श सिंह
 श्री गोलोक बिहारी धळ
 डॉ. छैलबिहारी गुप्त
 डॉ. जे. एल. रेड्डी
 प्रो. जोगेंद्र सिंह सोंधी
 प्रो. टी.पी. मीनाक्षीसुंदरन्
 श्री देवराज
 प्रो. देवेन्द्रनाथ शर्मा
 श्री नंद कुमार अवस्थी
 डॉ. नगेंद्र
 डॉ. पी. बी. पंडित
 श्री पृथ्वीनाथ पुष्प
 डॉ. बाबूराम सक्सेना
 डॉ. बालगोविंद मिश्र
 डॉ. बी.पी. कोलते
 डॉ. भोलानाथ तिवारी
 डॉ. मसूद हुसैन खाँ
 डॉ. मोहनलाल सर
 डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव
 श्री लोकनाथ भराली
 डॉ. विद्यानिवास मिश्र
 डॉ. विश्वनाथ प्रसाद
 डॉ. सविता जाजोदिया
 डॉ. सुकुमार सेन
 डॉ. हरदेव बाहरी
 प्रो. वी. रा. जगन्नाथन
 डॉ. अशोक चक्रधर
 डॉ. ओमविकास
 प्रो. सूरजभान सिंह
 डॉ. रामशरण गौड़
 श्री विजय कुमार मल्होत्रा
 प्रो. जगदीश चंद्र शर्मा
 प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
 प्रो. श्रीशचंद्र जैसवाल
 प्रो. रामजन्म शर्मा
 प्रो. दिलीप सिंह
 प्रो. अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
 डॉ. हेमंत दरबारी
 डॉ. प्रभात कुमार
 डॉ. बालकृष्ण राय
 डॉ. हेमंत जोशी
 श्री उमेश प्रसाद साहू
 श्री ब्रजसुंदर पाढ़ी

भूतपूर्व संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
 अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद
 निदेशक (हिंदी), संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
 भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 भाषाविद्
 भाषाविद्
 भूतपूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
 रीडर, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
 प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएँ, ला.ब.शा. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
 भाषाविद्
 भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राजकीय कॉलेज, पुरी (ओडिशा)
 अलीगढ़
 दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली
 भाषाविद्
 भूतपूर्व कुलपति, मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै
 प्रतिनिधि, हिंदी प्रकाशन संघ, दिल्ली
 भूतपूर्व अध्यक्ष, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना
 संचालक, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ
 भूतपूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, श्रीनगर
 भूतपूर्व कुलपति, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी
 शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
 निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
 अध्यक्ष, मराठी विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय
 रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 भूतपूर्व कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
 पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
 प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, गुवाहाटी
 निदेशक, क. मुं. हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा
 प्रतिनिधि, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
 संपादक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
 भूतपूर्व प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
 भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 पूर्व प्रोफेसर (हिंदी), इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
 साहित्यकार, नई दिल्ली
 वरिष्ठ निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
 सलाहकार, सीडैक तथा पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
 पूर्व सचिव, हिंदी अकादमी, नई दिल्ली
 पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
 भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर
 प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
 केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली
 एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़
 केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सी-डैक, पुणे
 प्रबंधक, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली
 भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
 सचिव, ओडिशा हिंदी परिवेश, कटक
 सचिव, हिंदी शिक्षा समिति, ओडिशा

डॉ. नरेंद्र व्यास
डॉ. ठाकुरदास

विदेश मंत्रालय

श्री हरिवंश राय बच्चन

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय

श्री बालकृष्ण

श्री ब्रजकिशोर शर्मा

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

श्री हृदय नारायण अग्रवाल

श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार

गृह मंत्रालय

श्री रमाप्रसन्न नायक

श्री मुनीश गुप्त

श्री हरिबाबू कंसल

श्री राजकृष्ण बंसल

श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय

श्री काशीराम शर्मा

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

डॉ. कपिला वात्स्यायन

श्री कृष्णदयाल भार्गव

श्री पी. एन. नाटू

अन्य विशेषज्ञ

डॉ. ब्रजेंद्र त्रिपाठी

प्रो. प्रमोद पांडेय

डॉ. उमा बंसल

डॉ. परमानंद पांचाल

डॉ. मोहिनी हिंगोरानी

प्रो. टी. एन. शुक्ल

प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव

डॉ. एम. शेषन

डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र

प्रो. के. एल. वर्मा

डॉ. जे. रामचंद्रन नायर

डॉ. दिनेश चौबे, रीडर

डॉ. स्वर्णलता

डॉ. वी. रा. राल्ते

डॉ. अरुण होता

प्रो. जयसिंह नीरद

डॉ. सुधांशु नायक

प्रो. कृष्णचंद्र टुडु

डॉ. धनेश्वर मांझी

डॉ. ठाकुर प्रसाद मुरमू

प्रो. बिरबल हेम्ब्रम

डॉ. रमणिका गुप्ता

डॉ. शशि शेखर तोशखानी

डॉ. गौरीशंकर रैना

डॉ. रामनाथ भट्ट

श्री बी. एन. बेताब

डॉ. सीतेश आलोक

डॉ. गुरचरण सिंह

प्रो. मनजीत सिंह

प्रो. पीतांबर ठाकवाणी

डॉ. रत्नोत्तमा दास

डॉ. श्रीता मुखर्जी

भाषाविद्
भाषाविद्

भूतपूर्व विशेषाधिकारी (हिंदी)

भूतपूर्व कार्यकारी सचिव, राजभाषा विधायी आयोग

संयुक्त सचिव, राजभाषा स्कंध, राजभाषा विधायी आयोग

प्रतिनिधि

प्रतिनिधि

भूतपूर्व हिंदी सलाहकार

भूतपूर्व संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग

भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग

भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

भूतपूर्व अपर सचिव

भूतपूर्व उपसचिव

भूतपूर्व उपसचिव

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

विभागाध्यक्ष, भाषा संस्थान, जे. एन.यू. नई दिल्ली

सहायक निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, वसंतकुंज, नई दिल्ली

नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली

निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

हिंदी विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

डीन, अनुवाद विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

भाषाविद्, चेन्नै, तमिलनाडु

संपादक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना

हिंदी विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरुवनंतपुरम

हिंदी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय

निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली

निदेशक यू. एच. सी. सी. आइजोल, मिजोरम

पं. बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, कोलकाता -700126

क. मु. हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा

हिंदी विभाग, खलीकोड कॉलेज, गंजाम, ओडिशा संताली विशेषज्ञ

संताली विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

संताली विभाग, विश्वभारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

संताली विभाग, सी. आई. आई.एल., मैसूर

बहरागोड़ा कॉलेज, झारखंड

संपादक 'आम आदमी', नई दिल्ली

कश्मीरी भाषाविद्, नई दिल्ली

दूरदर्शन, दिल्ली

भाषाविद्, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, उत्तर प्रदेश

आकाशवाणी, दिल्ली

हिंदी लेखक एवं समीक्षक, नई दिल्ली, भाषाविद्

उपाचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पंजाबी भाषा - विशेषज्ञ

पंजाबी विभाग,

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पंजाबी भाषा - विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त प्रोफेसर (अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान), केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, सिंधी भाषा - विशेषज्ञ

असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, बांग्ला भाषा - विशेषज्ञ

डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम

डॉ. जी. राजगोपाल

प्रो. टी. एस. सत्यनाथ

डॉ. वेंकटरामय्या

श्री उमाकांत खुबालकर

डॉ. भगत दशरथ तुकाराम

डॉ. राजेंद्र मेहता

डॉ. रूपकृष्ण भट्ट

डॉ. जितेंद्रनाथ मुरमु

डॉ. गंगेश गुंजन

डॉ. कामिनी कामायनी

प्रो. देवशंकर नवीन

डॉ. मोहन सिंह

प्रो. शिवदेव सिंह मन्हास

डॉ. चंद्रलेखा डिसौजा

डॉ. स्नेहलता शरेशचंद्र

डॉ. सी. प्रमोदिनी

प्रो. इतेंजा करीम

डॉ. अब्बास रजा नैय्यर

डॉ. बलदेवानंद सागर

श्री विष्णु बहादुर गुंफंग

डॉ. विजय कुमार मोहंती

श्री भारत बसुमतारी

श्री मनोज जैन

श्री करुणेश कुमार अरोड़ा

श्री परमानंद पांचवाल

प्रोफेसर ठाकुर दास

प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी

प्रोफेसर नरेश मिश्र

प्रोफेसर पून चंद टंडन

श्री पंकज चतुर्वेदी

प्रोफेसर ओम विकास

डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा

श्री श्रीनारायण सिंह

श्री जसजीत सिंह

श्री जितेंद्र कुमार सिंह

श्री अमलेश्वर पाराशर

श्री संत समीर

श्री प्रभात कुमार

श्री अनिल वर्मा

पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, तमिल एवं मलयालम भाषा विशेषज्ञ

एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, तमिल भाषा - विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, कन्नड भाषा - विशेषज्ञ

असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, तेलुगु भाषा-विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, वै.त.श. आयोग, नई दिल्ली, मराठी भाषा- विशेषज्ञ

पोस्ट डॉक्टरेट (मराठी), दिल्ली, मराठी भाषा - विशेषज्ञ

असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, गुजराती भाषा-विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, कश्मीरी भाषा - विशेषज्ञ

सी.एम.ओ. (एन.एफ.एस.जी.), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली, संताली भाषा - विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त निदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली, मैथिली भाषा-विशेषज्ञ

लेखिका (हिंदी एवं मैथिली), नई दिल्ली, मैथिली भाषा - विशेषज्ञ

भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, मैथिली भाषा - विशेषज्ञ

लेखक, जम्मू, डोगरी भाषा - विशेषज्ञ

डोगरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, डोगरी भाषा - विशेषज्ञ

एसोसिएट प्रोफेसर, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा, कोंकणी भाषा - विशेषज्ञ

सेवानिवृत्त प्राध्यापिका, धारवाड़, कर्नाटक, कोंकणी भाषा विशेषज्ञ

एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, मणिपुरी भाषा-विशेषज्ञ

निदेशक, उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली, उर्दू भाषा - विशेषज्ञ

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

सेवानिवृत्त संस्कृत समाचार प्रसारक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, नई दिल्ली, संस्कृत भाषा - विशेषज्ञ

अनुवादक -उद्घोषक,नेपाली एकांश,विदेश प्रसारण सेवा,आकाशवाणी, नई दिल्ली

सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक, बालेश्वर, ओडिशा, ओडिआ भाषा - विशेषज्ञ

समाचार वाचक, आकाशवाणी, नई दिल्ली, बोडो भाषा - विशेषज्ञ

निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली, कंप्यूटर - विशेषज्ञ

संयुक्त निदेशक, सी. डेक, नोएडा, कंप्यूटर - विशेषज्ञ

भूतपूर्व विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रपति, भारत

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संपादक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली